न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 160/2022

उनवान

नाथूलाल पुत्र छोटू जाति धोबी निवासी ग्राम नांदला, नसीराबाद
–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 3.1.24

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादी ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के वंर्किग खसरा नम्बर 50 मिन में से रकबा 8–1–0 की आराजी वादी के पिता छोटू पुत्र देवी जाति धोबी के नाम आवंटन की गयी। आवंटन दिनांक से ही वादी व उसके पिता का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 4966/57 रकबा 1.16 को छोटू अथवा उसके वारिस वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर 4966/57 रकबा 1.16 का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी वादी के पिता को आवंटन होना बताया है किन्तु आंवटन की पालना राजस्व अभिलेख में नही होने व कब्जा सिद्व नही होने के कारण वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी के पिता को विधिवत आवंटित हुयी थी ?
–– वादी
2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
–– वादीगण
3. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, प्रमाणित आंवटन आदेश पेश किये तथा वादी नाथूलाल व गवाह रामपाल के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 :—

वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश के कम संख्या 5 में अंकित अनुसार वादी के पिता छोटू पुत्र देवी को वंर्किग खसरा नम्बर 50 मिन रकबा 8—6—0 भूमि आवंटित हुयी थी। तत्समय राजस्व अभिलेख में उक्त आवंटन आदेश की पालना नही की गयी। उक्त आराजी के हाल आवंटी छोटू पुत्र देवी की मृत्यु हो गयी जिसके वारिस वादी ही है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 4966/57 रकबा 1.16 सिवायचक दर्ज है। जिस पर वादी के कब्जे काश्त को सिद्व करने हेतु वादी द्वारा धारा 91 नोटिस सम्वत् 2079 वादी द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। राज0 पैरोकार का कथन है कि आवंटन आदेश की पालना पूर्व रेकार्ड में नही होने के कारण वाद खारिज किया जावे। किन्तु राजस्व अभिलेख में वादी के पिता को हुये आंवटन की पालना राजस्व अधिकारी/कार्मिको द्वारा की जानी थी। उनके द्वारा तत्समय उक्त आवंटन की पालना नही किये जाने के कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है। वादी के पिता को हुये उक्त आंवटन को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। राज0 पैरोकार ने भी वादी के पिता को हुये उक्त आवंटन के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भूमि के आंवटन होने के बाद चाहे उक्त आवंटन का अमल दरामद राजस्व अभिलेख में नही हुआ है तब तक निरस्त नही माना जावेगा जब तक उक्त आंवटन सक्षम न्यायालय से निरस्त नही किया हो। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से उक्त आवंटन विधिवत सिद्व होता है। अतः तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :—

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादी के पिता को विधिवत आवंटित हुयी थी। उक्त आराजी का आवंटन किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। राज0 पैरोकार का कथन है कि वादी का आराजी मुतनाजा पर कब्जा नही होने व भूमि सिवायचक होने से वाद खारिज योग्य है। किन्तु वादी द्वारा धारा 91 सम्वत् 2079 का नोटिस पेश किया है जो कि तहसीलदार नसीराबाद द्वारा वादी को जारी किया है। उक्त नोटिस से वादी का कब्जा आराजी मुतनाजा पर सिद्व होता है। साथ ही आराजी मुतनाजा सिवायचक होने मात्र से ही वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता जबकि उसके द्वारा आराजी मुतनाजा के आवंटन व कब्जे के सत्यापन में वांछित दस्तावेज पेश किये है। राज0 पैरोकार ने भी यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा को आवंटन आदेश की पालना में आवंटी अथवा उसके वारिस के नाम दर्ज करने के बजाय किस कारण अथवा किस आदेश से हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से वाद के [illegible] होती है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। किन्तु वादी के पूर्व [illegible] वंकिग खसरा नम्बर 50 रकबा 8—6—0 पर पूर्व में खातेदारी अधि[illegible] अतः उक्त आवंटन की पालना में वादी उक्त आराजी पर गैर खातेदारी [illegible] अधिकारी है। आवंटन की शर्तो की पालना विधिवत करने के उपरान्त वादी तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खातेदारी के लिये आवेदन पेश कर सकता है। तनकी संख्या 2 आंशिक रूप से बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 4966/57 रकबा 1.16, की आराजी पर वादी का वाद "**आंशिक स्वीकार**" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के उपरान्त नियमानुसार खातेदारी की कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नाथूलाल बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 160/2022
पेश करने की दिनांक – 17.11.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर **4966/57** रकबा 1.16, की आराजी पर वादी का वाद "**आंशिक स्वीकार**" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के उपरान्त नियमानुसार खातेदारी की कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 9 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद